

अमरान: त्पारी वरि वनाम रणेश ठकुरेश

उ.स: 65/2023

धारा : 188 RTA

08/01
2025

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन घण्टा अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में वाद-पत्र में वादी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम धारिणी पेशी में धारिणी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार से दर्ज रीजिस्टर से कम की जाकर शामिल कफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चिराईगढ़)